हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-05-25 पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली का अवलोकन करने पर निर्णय संक्षिप्त में निम्न प्रकार है– प्रार्थना पत्र संख्या 21/2019 दायरा दिनांक 11.06.2019 बउनवान चतरा उर्फ चतुर्भज बनाम प्रभूलाल वगै0 निर्णय संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत् प्रस्तुत कर कथन किया कि जमाबंदी सम्वत् 2074–77 ग्राम रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी खतौनी संख्या 7 की खसरा संख्या 432,440 वर्तमान में प्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार खतौनी संख्या 33 के खसरा संख्या 431 प्रार्थी सं 1 के नाम तथा खतौनी संख्या 136 के खसरा संख्या 433प्रार्थी सं 1 एवं अप्रार्थी सं 13 लगायत 14 के नाम व मृतक ग्यारसी लाल व गोपाल के नाम दर्ज है। ग्राम रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ में सन् 1995 से 2015 तक के दौरान बन्दोबस्त कार्यवाही बन्दोबस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषिभूमि खसरा संख्या 162 के नये खसरा संख्या 432, खसरा संख्या 170 के नये खसरा संख्या 440, प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 में वर्णित कृषिभूमि के पुराने ख0सं0 161 के नये ख0सं0 431, प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 4 में वर्णित कृषिभूमि पुराने ख0सं0 163 के नये ख0सं0 433 है। अप्रार्थी संख्या 15 के नाम दर्ज भूमि के पुराने ख0सं0 170 के नये 441 तथा अप्रार्थी सं 1 ता0 12 के खाते की कृषिभूमि के पुराने ख0सं0 169 के नये ख0सं0 439 एवं पुराने ख0सं0 159 के नये ख0सं0 430 रकबा 0.05है0, पुराने ख0सं0 165 के नये ख0सं0 435 रकबा 0.01है0 कायम किए जो सही है लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने प्रार्थिगण व अप्रार्थिगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना तथा सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री के अभाव में अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए अधिकारों से बाहर जाकर बन्दोबस्त सन् 1995 से 2015 के पूर्व नक्शा ट्रेस को पूर्णतया नजरअन्दाज करते हुए ख0सं0 430 रकबा 0.05है0 को पुराने ख0सं0 161 के नये ख0सं0 431 के स्थान पर नये नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दिया गया जबकि पुराने नक्शा ट्रेस का तुलनात्मक मिलान किया जावे तो स्पष्ट होता है कि पुराने ख0सं0 161 के नये ख0सं0 431को सिवायचक के पुराने ख0सं0 159 के नये ख0सं0 430 के लगवा दर्शाया गया है अर्थात पुराने नक्शा ट्रेस के अनुसार पुराने ख0सं0 159 व ख0सं0 161 के मध्य कोई सिवायचक कृषिभूमि नहीं दशायी गई है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा ख0सं0 161 के नये ख0सं0 439 को पुराने ख0सं0 169/224 के नये ख0सं0 440 के स्थान पर तरमीम कर दिया गया जबकि पुराने नक्शा ट्रेस में पुराने ख0सं0 169/224 व ख0सं0 161 के समीप था अर्थात पुराने ख0सं0 169/224 व ख0सं0 161 की मेड एक थी और ख0सं0 161 व ख0सं0 169/224 व ख0सं0 168 के मध्य के ख0सं0 169 को नये नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया। इसी प्रकार पुराने ख0सं0 162 के नये ख0सं0 432 को पुराने नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम नहीं किया गया है तथा पुराने ख0सं0 170 के नये ख0सं0 441 को नये ख0सं0 442 का पीछे का कुछ हिस्सा सिवायचक में मिला दिया गया। बन्दोबस्त विभाग ने पुराने नक्शा ट्रेस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किए बिना नया नक्शा ट्रेस तैयार करतेसमय मौके की स्थिति में फेरबदल कर तरमीम कर दिया गया जबकि प्रार्थिगण एवं अप्रार्थिगण पुराने नक्शा ट्रेस में दर्शायी गई स्थितिनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। बन्दोबस्त विभाग पुराने राजस्व रिकॉर्ड को पूर्व स्थिति अनुसार रिपीटेशनकरने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है जो बन्दोबस्त विभाग द्वारा नहीं किया गया। जिसके कारण बन्दोबस्त विभाग की सम्पूर्ण कार्यवाही वाद विषयक कृषिभूमि वावत अवैधानिक है। जिससे अप्रार्थिगण को किसी प्रकार का कोई विधिक व खातेदार अधिकार प्राप्त नहीं होते है और न ही प्रार्थिगण के खातेदारी अधिकार समाप्त होते है। प्रार्थिगण को वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि पुराने नक्शा ट्रेस में दर्शाये गए अनुसार नये ख0सं0 431,430,440,433,441 व 430 के नक्शे ट्रेस को दुरूस्त करावे एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त करने तथा अप्रार्थी सं 1 ता0 12 के	

उपखण्ड अधिकारी

...कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

...धाज्ञा प्राप्त करें। यदि दौरान वाद अप्रार्थिगण को जये ... से पाबंद नहीं किया गया तो वे प्रार्थिगण को नये नक्श ट्रेस ... फायदा उठाकर ख0सं0 440 के पुराने नक्शा ट्रेस अनुसार कब्जे से ... देंगे जिससे प्रार्थिगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति ... संभव नहीं हो सकेगी। अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ... 12 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

... प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये नोटिस अप्रार्थिगण ... तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 14 लगायत 16 बावजूद सूचना अनुपस्थित ... के उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 8 की मृत्यु हो जाने से आदेशिका दिनांक 15.03.2022 से अप्रार्थी सं 8 का डिलिट किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 8 की हद तक प्रार्थना पत्र अबेट किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने उनके कायम मुकाम पूर्व से ही प्रार्थना पत्र में ... होने से प्रार्थी चतरा उर्फ चतुर्भुज का नाम प्रार्थना पत्र से डिलिट किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 व 9 लगायत 12 के अधिवक्ता द्वारा समुचित अवसर उपरान्त में जवाब पेश नहीं करने उनका जवाब बंद कर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थिगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि सेटलमेंट विभाग द्वारा वादविषयक आराजी का नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम का फायदा उठाकर अप्रार्थिगण 1 लगायत 12 प्रार्थिगण को नये नक्श ट्रेस अनुसार ख0सं0 440 के पुराने नक्शा ट्रेस अनुसार कब्जे से बेदखल कर देंगे जिससे प्रार्थिगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं हो सकेगी।

हमने प्रार्थिगण अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपस्थित जमाबंदीयां सम्वत् 2074–2077 वाके ग्राम रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ के खाता संख्या 7 के खसरा संख्या 440 रकबा 0.01है0 प्रार्थिगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा इसी प्रकार खाता संख्या 31 के खसरा संख्या 439 रकबा 0.02है0 अप्रार्थिगण 1 लगायत 3 के पिता गणपत, अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 के पिता गोबरी लाल, अप्राथी सं 7 के पिता पन्ना0 लाल, अप्रार्थी सं 8, अप्रार्थी सं 9 के पिता मोड़ूलाल, अप्रार्थी संख्या 10, अप्रार्थी सं 11 के पिता रामप्रसाद, अप्रार्थी संख्या 12 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। यहा प्रार्थिगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का प्रमुख आधार बन्दोबस्त विभाग द्वारा ख0सं0 161 के नये ख0सं0 439 को पुराने ख0सं0 169/224 के नये ख0सं0 440 के स्थान पर तरमीम कर दिया जाना है जिसको साबित करने का भार प्रार्थिगण पर है। खसरा संख्या 439 के रिकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थिगण है जिनका राजस्व रिकॉर्ड में अलग से खाता अंकित है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आता है कि खसरा संख्या 440 का रकबा 0.01है0 जो प्रार्थिगण के नाम दर्ज है जबकि खसरा संख्या 439 का रकबा 0.02है0 अंकित है जिनके रकबे में भिन्नता है। प्रश्नगत आराजी खसरा संख्या 440 के वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत इन्द्राज को प्रार्थिगण द्वारा साबित किया जाना है जो प्राथमिक दृष्ट्या साबित नहीं है। प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 8 की हद अबेट किया जा चुका है। प्रार्थना में अंकित तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में वादीगण के साक्ष्य उपरान्त ही किया जा सकेगा। हमारे अनुसार हस्तागत प्रकरण में अप्रार्थिगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया उचित नहीं है।

अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थिगण 1 लगायत 12 खारिज किया जाता है। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद पूर्ति संलग्न मूल वाद रहे। यह निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)